प्रेस नोट

दिनांक 07.11.2025

थाना मौदहा पुलिस द्वारा अज्ञात महिला की हत्या के 02 वांछित अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 27.10.2025 को ग्राम प्रधान रीवन द्वारा जरिए दूरभाष थाना मौदहा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम क्षेत्र के खेतों के मध्य बने कच्चे मार्ग पर एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची मौके पर एक अज्ञात महिला का शव पाया गया, जो हरे रंग की साड़ी पहने हुए थी तथा उसका चेहरा जला हुआ था। महिला के बाएं हाथ की कलाई पर ‘‘गायत्री’’ नाम हिंदी में लिखा हुआ था तथा दाएं हाथ की हथेली के पिछले हिस्से पर ओम का निशान बना हुआ था। घटना की सूचना पर फॉरेंसिक टीम को अवगत कराते हुए घटनास्थल को सुरक्षित कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई थी, तथा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा/पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई। साथ ही महिला की शिनाख्त हेतु आवश्यक प्रयास किए जा रहे थे। ग्राम रीवन के चौकीदार सुखनन्दन खंगार पुत्र बन्दर उर्फ होरीलाल निवासी ग्राम रीवन थाना मौदहा जनपद हमीरपुर द्वारा उपस्थित थाना आकर दी गई तहरीर के माध्यम से बताया गया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अज्ञात महिला की हत्या कर पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को जला दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 385/2025 धारा 103(1)/238 बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर द्वारा टीम गठित कर घटना के सफल व शीघ्र अनावरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 07.11.2025 को उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना मौदहा पुलिस थाना क्षेत्र अन्तर्गत मामूर थी कि इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि जिन लोगों ने ग्राम रीवन के खेतों में महिला की हत्या कर शव को फेक दिया था वो लोग नेशनल चौराहे से इंगोहटा वाले रोड पर मोटरसाइकिल से जा रहे है। उक्त सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तो पुलिस टीम से घिरा हुआ देख अभियुक्तगण ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में दोनों अभियुक्त 1. रामसुफल प्रजापति पुत्र पचूवा (उम्र करीब 28 वर्ष) निवासी वरहेड्डा थाना अतर्रा जनपद बांदा के दाहिने पैर में गोली लगी 2. सोनू यादव पुत्र जगदेव (उम्र करीब 25 वर्ष) निवासी गुरुदहा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर के बायें पैर में गोली लगी। अभियुक्तगण को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। जिनके कब्जे से 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 खोखा कारतूस व 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 760 रूपये बरामद करते हुए घायल अभियुक्तगण को उपचार हेतु तत्काल सीएचसी मौदहा भेजा गया। मौके पर फील्ड यूनिट टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त रामसुफल ने बताया कि वह पहले से शादीशुदा है , गायत्री उसके दोस्त सोनू यादव के पास भी रहती थी, जिससे वह गायत्री से पीछा छुड़ाना चाहता था, अपने दोस्त सोनू यादव से मिलकर बहाने से गायत्री को मोटरसाईकिल पर बैठाकर ले जा रहे थे, कि रीवन गांव के पास रात्रि मे हम दोनो ने उसका गला दुपट्टे से कसकर हत्या कर दी तथा उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके पर्स व अन्य चीजों को चेहर पर रखकर जला दिया था और वहाँ से भाग गये थे।

आज हुई मुठभेड के सम्बन्ध में थाना मौदहा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 394/25 धारा 109 बीएनएस (पुलिस मुठभेड़) व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त का विवरणः-

1.रामसुफल पुत्र पचुआ प्रजापति (उम्र करीब 28 वर्ष) निवासी ग्राम वरहेण्डा थाना अतर्रा जिला बाँदा।

2.सोनू यादव पुत्र जगदेव यादव (उम्र करीब 25 वर्ष) निवासी ग्राम गुरदहा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण

अभियुक्त रामसुफल उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 350 रूपये व अभियुक्त सोनू यादव उपरोक्त के कब्जे से मय 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 410 रूपये बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उमेश कुमार सिंह (प्र0नि0 थाना मौदहा)
2. उ0नि0 विनेश गौतम
3. उ0नि0 अभिषेक त्रिवेदी
4. उ0नि0 मोहित कुमार
5. का0 विनोद कुमार
6. का0 विजय प्रताप
7. का0 धर्मेन्द्र कुमार
8. कां0 अमन कुमार
9. उ0नि0 सचिन शर्मा (प्रभारी एसओजी टीम)
10. का0 अतुल कुमार एसओजी
11. का0 सुरेन्द्र मिश्रा एसओजी
12. का0 शक्ति सिंह एसओजी
13. का0 गजेन्द्र सिंह सर्विलांस